न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2014 **दायरा दिनांक : 21.01.2014**

उनवान

1— मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 70 साल, पुत्र श्री भैरू उर्फ भैरू लाल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक कायममुकामान :—

1/1— जानकी बाई पत्नी श्री मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 62 साल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2— केलाशबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 52 साल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/3— कालू लाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 47 साल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/4— अनोख बाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 39 साल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/5— नट्टी बाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 37 साल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/6— सावित्री बाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगी लाल, आयु 32 साल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— बिहारी लाल आयु 62 साल, पुत्र भैरू लाल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— धन्ना लाल आयु 57 साल, पुत्र भैरू लाल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— छोट्या आयु 52 साल, पुत्र भैरू लाल, जाति माली, निवासी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अरविन्द हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराजकिशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 129/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 432 में खसरा नम्बर

148/1564 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 175/1638 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.36 हेक्टर कुल 1.35 हेक्टर आराजी स्थित है । यह आराजी 1965 में कीमतन आवंटन हुई थी और दखलनामा भी दिया गया था और इंतकाल नम्बर 813 से सन् 2010 में आराजी अपीलांट के खाते दर्ज हुई । प्रतिवादी ने एक दावा 105/2008 न्यायालय में पेश किया था जो खारिज किया गया । इस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसे खारिज किया गया । खसरा नम्बर 148/1564 रकबा 0.65 हेक्टर आराजी का पश्चिम की ओर का हिस्सा प्रतिवादी को काश्त करने के लिए दी थी जो परिमिसिव पजेशन (Permissive Possession) है, परन्तु प्रतिवादी से जब कब्जा संभलाने को कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल कर वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को दिलवाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 21.11.2013 से वादी का दावा खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का निर्णय गलत किया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । रेस्पोडेंट को कोई अधिकार कब्जा करने का नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । वादग्रस्त आराजी के बाबत रेस्पोडेंट का दावा खारिज हो

चुका है उसकी अपील भी खारिज हो चुकी है । अपीलांट को सन् 1965 में आवंटन हुआ था और खातेदारी अधिकार भी प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि 30 वर्ष से वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा है । वादी का दावा बेरून मियाद है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में सी डी आर 2016 (4) पेज 1990 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट 1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी वादी के खाते में दर्ज है । इसके अलावा पत्रावली पर कुछ फोटो प्रतियां भी सलंग्न है परन्तु उनको एक्जीविट नहीं करवाया गया । इकरारनामा असल एक्जीविट डी 1 भी पत्रावली पर सलंग्न है । वादी की ओर से मांग्या पी डब्ल्यू 1, भंवर लाल पी डब्ल्यू 2, बिहारी लाल पी डब्ल्यू 3, धन्ना लाल पी डब्ल्यू 4, छोटू लाल पी डब्ल्यू 5 कराये गये हैं । प्रतिवादी की ओर से बयान अमर लाल डी डब्ल्यू 1, देवी लाल डी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं ।

वादी ने यह कथन करते हुये बेदखली का दावा पेश किया है कि सन् 2010 में प्रतिवादीगण को जब कब्जा छोडने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। पत्राावली पर एक इकरारनामा एक्जीविट डी 1 संलग्न है। यह इकरारनामा सन् 2008 में निष्पादित किया गया है जिसमें यह अंकित है कि आवंटन आराजी में से खसरा

नम्बर 148/1564 रकबा 0.65 हैक्टर तीनो भाईयों को आज से 30 वर्ष पूर्व काश्त करने के लिए दी गई थी। तभी से वो इस पर काबिज काश्त है। वादी मांगीलाल ने अपने बयानात में कथन किया है कि प्रदर्श डी 1 में उनकी अंगूठा निशानी है। बयान में यह भी कथन किया है कि प्रदर्श डी ए–1 में सी टू डी के बीच जो इबारत लिखी है वो सही है। इस प्रकार वादी स्वंय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एक्जीविट डी 1 पर उसकी निशानी अंगूठा है। एक्जीविट डी 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर 30 वर्ष से प्रतिवादीगण का कब्जा वादी ने स्वीकार किया है। यह तहरीर सन् 2008 में लिखी गई है। इन तथ्यों के आधार पर वादी का दावा बेरून मयाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उनका दावा खारिज किया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा